

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
जयपुर प्रदेश संघनाटक।**

संख्या- राष्ट्रीय/प्राविधिक सम्बद्धता/2020/1971

जयपुरका दिनांक 14-8-2020

**-कार्यालय द्वारा-**

उच्चिष्ठ राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय उच्चिष्ठ शिक्षा, नई दिल्ली द्वारा विहित तार 2020-21 हेतु विस्तार प्रदान तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, जयपुर संघनाटक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को जयपुर, प्राविधिक शिक्षा परिषद, जयपुर संघनाटक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यदेस में बैठक प्रदान हुई। बैठक में सविधि द्वारा तार 2020-21 हेतु कार्यरत नई सम्बद्धता को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/प्रदानकरण/प्रवेश अथवा सुविधि प्रदान करने पर विचार करने हेतु तार 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

यहां से अनुमोदन में सम्बद्धता सविधि की बैठक को 14-8-20 में विस्तार प्रदान करने की प्रत्येक सम्बद्धता संस्थाओं को प्रदान किया गया। सम्बद्धता सविधि द्वारा प्रदान किया-विस्तार का विस्तार निर्णय लिया गया :-

निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्पेसी पाठ्यक्रम स्थापित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, जयपुर संघनाटक से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं तार 2020-21 हेतु पीएसटीआईओ द्वारा नहीं स्थापित अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीएसटीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसार प्रत्येक तार को सम्मुख उच्चिष्ठ राष्ट्रीय संघनाटक/प्रवेश अथवा तार 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सविधि द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीएसटीआईओ द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार को अनुमोदन में तार 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को जयपुर सम्बद्धता सविधि की बैठक में किये गये कार्यवाही निर्णय को अनुमोदन में किया गया जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, जयपुर संघनाटक द्वारा तार 2020-21 हेतु विस्तार प्रदान करने के उद्देश्य से उच्चिष्ठ राष्ट्रीय संघनाटक हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	पाठ्यक्रम का नाम	पीएसटीआईओ द्वारा तार 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश अथवा	विस्तार/पूर्व द्वारा तार 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश अथवा
1	2117	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	विस्तार प्रदान करने	80	80

**सम्बद्धता हेतु तार**

- संस्था सम्बद्धता/विस्तार/विस्तार प्रदान किये जाने की गयी तारीख का पूर्णतः पालन करेंगे।
- संस्था प्रदान उच्चिष्ठ प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा जयपुर संघनाटक प्राविधिक शिक्षा परिषद विस्तार/विस्तार/विस्तार/विस्तार-2020 तथा अन्य विहित निर्णय एवं कार्यवाही का अनुमोदन करने तथा शुल्क निर्धारण सविधि द्वारा निर्धारित शुल्क तैयार करके उच्चिष्ठ राष्ट्रीय संघनाटक हेतु ₹ 20,000.00/- (द्वीगुण) का अर्पण करने की प्रत्येक संस्था हेतु ₹ 20,000.00/- (द्वीगुण) का शुल्क तैयार करके उच्चिष्ठ राष्ट्रीय संघनाटक हेतु ₹ 20,000.00 (द्वीगुण) शुल्क ही उच्चिष्ठ संघनाटक/संघनाटक से प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक को उच्चिष्ठ संघनाटक/संघनाटक से शुल्क की राशि में जमा-जमा या

*(Handwritten Signature)*



**कार्यालय,****राष्ट्रीय प्रविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।****संख्या- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2022/9437****लखनऊ- दिनांक- 27/09/2022****-कार्यालय ज्ञान-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी बजटमिक्त और इच्छित, नई दिल्ली द्वारा सेंट्रिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 22/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुशासन में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

**संस्था का कोड एवं नाम : 2117-KRITIKA PHARMACY COLLEGE**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर किये जा सकनेवाले नए अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इयूजी पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र-छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र-छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर आसन द्वारा किये जाने वाले आसनदेश प्रकाशी होगी, और अनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो पीस को न्यूनतम रहे लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिये जायेंगे।
- ✓ संस्था को समय-समय पर किये जा सकनेवाले नए अनुपालन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किये विधि-निष्पत्ती-अधिनिष्पत्ती-शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा किये गये निष्पत्ती-विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये आवश्यक है।

- ✓ यदि संस्थान का १०-आई-सी-टी-ई-पी-सी-आई से अनुमोदन निम्न किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उपरोक्तित्व संस्था का शीर्ष और विधिक अंग से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश प्रमाण के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दाख कद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व १०-आई-सी-टी-ई-पी-सी-आई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अध्याय परीक्षे परेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गम गवर्नमेन्ट अख्यत निधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, माज-काल, उपकरण, प्रेष किया जाने वाला सुक, कक्षाकाल सुक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कालांतरण उपलब्ध करने के साथ शैक्षणिक शीर्ष के संस्था में संस्था आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो कि संस्था में प्रस्तावित संघनित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के संस्था उपलब्ध कराये गयी अधिनियम, भूमि-ध्यान, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघनन में प्रयोग किया जाता है और परिषद की इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तबका संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के शीर्षक राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, ध्यान, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य माज-संस्था १०-आई-सी-टी-ई-पी-सी-आई-परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनसक कार्यवाही की जाएगी।

  
(एफ०आर० खान)

सचिव

पृ०सं०- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2022/9438-8411

दिनांक: 27/04/2022

प्राविधिक  
प्रधानसचिवनिदेशक KRITIKA PHARMACY COLLEGE

  
(एफ०आर० खान)

सचिव

## कार्यालय

एशियन प्रोफेशनल शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या- एशियनपरिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक: 13-06-2023

### आप्रीतय प्राप्त:-

अशियन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्मेली काउन्सिल ऑफ इडिजि, नई दिल्ली द्वारा सैडिजि सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संबन्धित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त एशियन शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समस्त दिनांक 15-07-2023 तक दिनांक 01-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अशियन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मेली काउन्सिल ऑफ इडिजि, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्देश के अनुक्रम में निम्न संस्था को एशियन शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2117-KRITIKA PHARMACY COLLEGE

क्रमसं०	संस्था का नाम	एड-आर्गनाइजेशन/पैरेंट्स-अर्गैड द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	50	50

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ एशियन शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के संसद संख्या 31/198-30894/2022 दिनांक-1 नवंबर 18 नवंबर 2022 द्वारा पूर्व से संघटित समस्त संस्थाओं को जीव के विद्युत तकनीक निकाय में एशियन विट एशिया संस्था 2023/2023 में तकनीक निकाय के अधीन निर्देश के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
- ✓ संस्था अशियन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मेली काउन्सिल ऑफ इडिजि, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अशियन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मेली काउन्सिल ऑफ इडिजि, नई दिल्ली के निर्देश के अनुक्रम संख्या में संस्था संस्थापन (सूचि, भवन, पैर उपकरण) शर्तें उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश एशियन शिक्षा परिषद सत्र 1982 तथा एशियन शिक्षा परिषद विनियमन-1982, विनियमन-2000, संसदा विनियमन-2016 तथा संसदा-संसाधन एवं निरति संसाधनों का अनुपालन करेगी तथा सुदूर निर्देशों समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिलिपि उपलब्धता में प्रदान किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश के एशियन शासक/शासक की शुल्क के सम्बन्ध में समस्त संस्था पर संस्थान द्वारा निर्देश किये जाने वाले संसाधनों प्रदान की जाएंगी, और अनुसंधान कार्यवाही किये जाने आवश्यक होगा। एशियन निर्देशों समिति द्वारा पत्र सत्र 2023-24 हेतु कोस का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो कोस की गठन/पत्र दो सत्र कीने।
- ✓ संस्था में सुदूर प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा आयोजित कराई की ही प्रवेश किये जायेंगे।
- ✓ संस्था को समस्त संस्था पर निर्देश संसाधनों के अनुसंधान निर्देश एवं सम्बद्धता शुल्क प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्थाएं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देश विनियमन-1982/विनियमन-2000/विनियमन-2016/विनियमन-2000/सुदूर प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा एशियन शिक्षा परिषद, 2023 द्वारा बताने गयी निर्देश, विनियम, आदेश, निर्देशों का पालन

करने के लिये आवश्यक है।

- ✓ यदि संस्थान का अधिकतम राष्ट्रीय स्तरकी शिक्षा पंजीयनकार्यवाही काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संस्थान में समस्त उपाध्यक्षिक संकाय का होना और शिक्षक संघ के किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था द्वारा उपयुक्त होना। परिचालित शिक्षा पंजीयन, अनुसंधान शिक्षा पंजीयन, पारिभाषिक शिक्षा निदेशकन एवं परिचालित शिक्षा निदेशन द्वारा प्रदेश सरकार के विद्युत पत्रि कार्यवाही द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा इसका ताल के संबंध में का-स्टाफला द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अंदेश निमित्त किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संकाय को कानूनी होना।
- ✓ संकायों की अनुसंधान शिक्षा पंजीयन, तथा प्रदेश सरकार द्वारा जारी कर के लिए संबंधित प्रदेश शिक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अधिकतम राष्ट्रीय स्तरकी शिक्षा पंजीयनकार्यवाही काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त का पंजीयन कार्यवाही उपरका कठोरन होना अथवा उन्ही प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु संकाय-संघ पर निमित्त नवीकरण अप्रेशन निदेशों का अनुपालन करना आवश्यक होना।
- ✓ संकाय को अपने विद्यार्थी एवं परिचालित शिक्षा के सुलभता प्रदान का संकाय की समस्त सुलभता जैसे संकाय की सुविधाओं पूर्ण भूमि, भवन, सहा-सहा, उपकरण, प्राण किया जाने वाला सुलभ, वातावरण सुलभ आदि का विद्यार्थी उपरका कठोरन होना।
- ✓ संकाय को विद्यार्थी प्रेषित हेतु उपयुक्त वातावरण उपरका करने के साथ प्रेषित संकाय के संस्था में समस्त आवश्यक आवश्यक सुविधाएं कानूनी होनी।
- ✓ संकाय पर सुनिश्चित हो ने कि संकाय में प्रशासनिक/कार्यवाही प्रशासन को चलाने करने हेतु विभिन्न स्तरों के समस्त उपरका कार्यवाही जैसे अर्थशास्त्र, भूमि-भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संकाय द्वारा किसी अन्य प्रशासन के संकाय में प्रेषित किया जाता है और पंजीयन को सुलभता कानूनी होनी है कि संकाय उपरका का प्रेषित किया अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समस्त संकाय को आवश्यक संकाय किसे करने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ द्वारा प्रदेश परिचालित शिक्षा (परिचालित और उपरनिमित्त, संकायों का समस्त किया जाये। विनियमावली, 2020 के परिचालनद्वारा पंजीयन की गलत का अपने कार्यवाही, धारण और कर्मचारी को पंजीयन की पंजीयन के संकाय के लिए पंजीयन के अधिकार में रखी।
- ✓ संकाय के जीवन कालीन विद्यार्थी के जीवन यदि संकाय में भूमि, भवन, उपकरण, उपकरण एवं अन्य सहा-सहा प्रशासनिक/कार्यवाही/प्रशासनिक/परिचालित के संकायद्वारा उपरका नहीं प्राप्त करता है तो संकाय की आवश्यक संकाय का ही जायेगी।
- ✓ आवश्यक कार्य का अनुपालन न किसे करने अथवा कार्य का उपरान्त किसे करने की शक्ति में निष्ठापूर्वक अनुपालनकरा कार्यवाही की जायेगी।

(अधीन कुमार मिश्र)

सचिव

फ़ोन- प्राधिकार/पंजीयन संख्या: 2023-12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

पंजीयन-  
अधीन/पंजीयन KRITIKA PHARMACY COLLEGE

(अधीन कुमार मिश्र)

सचिव